



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक 1943 (श0)

(सं0 पटना 880) पटना, बुधवार, 27 अक्टूबर 2021

I E 2@vkjki&01&89@2012&12113@lk0ç0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

8 अक्टूबर 2021

श्री अनिल कुमार आर्य बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 811/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी—सह—प्रभारी काराधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से काराहस्तक नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध छः बन्धियों को अवैध एवं अनियमित रूप से कारा के गेट के बाहर ले जाकर कार्य कराने, अवैध एवं अनाधिकृत रूप से कारा से बाहर ले जाकर कार्य कराये जाने के दौरान विचाराधीन बंदी मो0 साबीर के पलायन कर जाने के लिए, कर्तव्यहीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता तथा नियमों के उल्लंघन करने के प्रतिवेदित आरोप के लिए गृह विभाग के पत्रांक 4846 दिनांक 25.10.2012 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16980 दिनांक 12.12.2012 द्वारा श्री आर्य को निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 281 दिनांक 08.01.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 309 दिनांक 21.04.2014 से प्राप्त प्रमंडलीय आयुक्त—सह—संचालन पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री आर्य द्वारा अपने बचाव में समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 07.07.2014 की समीक्षा के उपरान्त प्रमाणित आरोपों एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13776 दिनांक 07.10.2014 द्वारा श्री आर्य को आदेश निर्गत होने की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16040 दिनांक 21.11.2014 द्वारा “निन्दन (वर्ष 2012-13)” एवं “तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक” का दंड अधिरोपित किया गया। उक्त प्रकरण में श्री आर्य दिनांक 12.12.2012 से 06.10.2014 तक निलंबित रहे। श्री आर्य को प्रमाणित आरोपों के लिए दंडित किये जाने के फलस्वरूप उनके निलंबन को औचित्यपूर्ण मानते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2687 दिनांक 19.02.2015 द्वारा उनके उक्त वर्णित निलंबन अवधि के लिए देय वेतनादि की राशि से 25 प्रतिशत राशि की कटौती करने का दंड संसूचित किया गया।

श्री आर्य द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16040 दिनांक 21.11.2014 द्वारा संसूचित दंडादेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन आवेदन दिनांक 05.01.2015 समर्पित किया गया। श्री आर्य द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन

दिनांक 05.01.2015 को सम्यक् विचारोपरान्त अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16040 दिनांक 21.11.2014 द्वारा निन्दन (वर्ष 2012-13) एवं तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2687 दिनांक 19.02.2015 द्वारा निलंबन अवधि (दिनांक 12.12.2012 से 06.10.2014) के लिए देय वेतनादि की राशि से 25 प्रतिशत राशि की कटौती के अधिरोपित दंड को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5036 दिनांक 01.04.2015 द्वारा पूर्ववत् बरकरार रखा गया।

श्री आर्य द्वारा उपर्युक्त दण्डादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 5057/2016 अनिल कुमार आर्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में दिनांक 05.08.2021 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

“8. Having heard the parties and on a consideration of the materials on record, this Court finds merit in the submissions of the petitioner. A perusal of the inquiry report dated 15.04.2014 discloses that considerable reliance has been placed on the District Magistrate’s letter no. 373 dated 05.03.2014 for proving the charges against the petitioner.

9. Learned counsel for the respondents does not dispute that the said letter dated 05.03.2014 was in fact never served on the petitioner and has for the first time been brought on record by way of a supplementary counter affidavit filed before this Court. The authority has thus relied on material by way of the letter dated 05.03.2014 without confronting the petitioner in that behalf which has thus resulted in violation of natural justice. This Court is therefore of the view that the Departmental proceedings stand vitiated.

10. Accordingly, the impugned order dated 21.11.2014 (Annexure-18) along with the inquiry report dated 15.04.2014 (Annexure-16), order dated 01.04.2015 rejecting the petitioner’s review application (Annexure-23) as well as the order dated 19.02.2015 (Annexure-22) are set aside and the matter is remanded to the Additional Secretary, General Administration Department, Govt. of Bihar, Patna (respondent no.5) for passing orders afresh after obtaining a fresh inquiry report in accordance with law and upon grant of an opportunity of hearing to the petitioner, preferably within a period of four months from the date of receipt/production of a copy of this judgment.

11. The writ petition stands allowed.”

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2021 को पारित आदेश की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री आर्य के विरुद्ध आरोपों की नये सिरे से जाँच कराने का निर्णय लिया गया है।

- (i) अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनिल कुमार आर्य (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 811/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी-सह-प्रभारी काराधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के विरुद्ध आरोपों की नये सिरे से जाँच के लिए संचालन पदाधिकारी, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को विभागीय कार्यवाही संबंधित अभिलेख (सभी अनुलग्नकों सहित), वापस किया जाता है। संचालन पदाधिकारी माननीय न्यायालय द्वारा उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में जाँच सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा मनोनित किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
- (ii) जिला पदाधिकारी, मधुबनी को निदेश दिया जाता है कि संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

- (iii) श्री आर्य से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 880-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>